

# खेती को बनाया ब्रांड, करोड़ों का टर्नओवर पाया

आशुतोष शर्मा • नईदुनिया

महासमुंद : जिले के केशवा गांव के प्रगतिशील किसान मोहन चंद्राकर ने साबित कर दिया है कि खेती केवल आजीविका नहीं, बल्कि एक सफल एग्री-बिजनेस भी बन सकती है। मल्टीनेशनल कंपनी की आकर्षक नौकरी छोड़कर उन्होंने आधुनिक, जैविक और बाजार आधारित खेती को अपनाया। आज 42 एकड़ में विशेष फसलों का उत्पादन, प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग और विपणन के जरिए उनका कारोबार करीब 22 करोड़ रुपये के वार्षिक टर्नओवर तक पहुंच चुका है। 300 से अधिक किसानों को एफपीओ से जोड़कर वे खेती को लाभकारी उद्यम बनाने की नई राह भी दिखा रहे हैं।

एमबीए और अंग्रेजी साहित्य में शिक्षा प्राप्त मोहन चंद्राकर ने पारंपरिक खेती के बजाय नवाचार को अपनाया। जैविक पद्धति को अपनाकर पर्पल राइस, सुशुभित धान और पर्पल व्हेट जैसी विशेष फसलों का उत्पादन शुरू किया है, जिनकी देश-विदेश के बाजारों में अच्छी मांग है। रासायनिक उर्वरकों के बजाय प्राकृतिक खेती और गुणवत्तापूर्ण उत्पादन पर उनका विशेष



### खेती को बनाया

### एग्री-बिजनेस

मोहन चंद्राकर का मानना है कि केवल उत्पादन बढ़ाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उत्पाद का सही प्रसंस्करण, ब्रांडिंग और बाजार तक पहुंच भी उत्तनी ही महत्वपूर्ण है। इसी सोच के कारण उन्होंने खेती को एग्री-बिजनेस का स्वरूप दिया और किसानों को मूल्य व्हेटला से जोड़ने का कार्य किया।

जोर है। खेती तक सीमित न रहकर कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण और विपणन पर भी ध्यान दिया। उन्होंने

● महासमुंद के किसान मोहन चंद्राकर ने स्थापित की 'तथास्तु एग्रोटेक' यूनिट

● एमबीए पास किसान ने पारंपरिक खेती के जगह नवाचार को अपनाया



अपने गेहूं के खेत में काम करते हुए किसान मोहन चंद्राकर । ● फाइल फोटो

### कृषि प्रोसेसिंग कारोबार से सालाना कमाई करीब 22 करोड़ रुपये

आज उनके कृषि एवं प्रोसेसिंग आधारित कारोबार का वार्षिक टर्नओवर करीब 22 करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है। उनकी सफलता से प्रेरित होकर अनेक युवा भी कृषि क्षेत्र में नवाचार और उद्यमिता की ओर आकर्षित हो रहे हैं। सम्पन्न-समृध पर वे

प्रशिक्षण, कार्यशालाओं और किसान संवाद कार्यक्रमों के माध्यम से हजारों किसानों को आधुनिक खेती, जैविक उत्पादन और बाजार आधारित कृषि की जानकारी प्रदान करते हैं। साथ ही किसानों को स्वरोजगार और आय बढ़ाने के व्यावहारिक उपाय भी बताते हैं।

वैल्यू एडिशन कर आकर्षक पैकेजिंग नाम से आधुनिक प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित की, जहां कृषि उत्पादों का

# बस्तर में राहत, रास्ते अब भी बंद

## जलस्तर घटा ●बीजापुर में हालात सुधरे, महाराष्ट्र और तेलंगाना से संपर्क अब भी बाधित

टीम नईदुनिया, जगदलपुर: उफनती इंद्रवती नदी अब शांत हो रही है, लेकिन इसके पीछे टूटी सड़कें, कटे हुए गांव और बाढ़ की अनगिनत कहानियां हैं। बीएसएफ के जवानों ने पेड़ों और छतों पर 16 घंटे बिताए, जबकि राहत दल ने बाढ़ के बीच जन्मे नवजात को सुरक्षित अस्पताल पहुंचाया।

बारिश थमने के बाद हालात में सुधार हो रहा है, लेकिन महाराष्ट्र और तेलंगाना से बस्तर का संपर्क अभी भी बहाल नहीं हो सका है। बीजापुर जिले में गुरुवार रात से स्थिति में सुधार आ रहा है। गंगापूर, तोयनार और कुटुर मार्ग पर आवाजही शुरू हो गई है, लेकिन बासागुड़ा-तारलागुड़ा मार्ग अभी भी बंद है। तिमिड़ से महाराष्ट्र जाने वाला मार्ग और रामपुरम के पास तेलंगाना की ओर जाने वाली सड़क पानी में डूबी हुई है।

सीमनफल्ली के पास सड़क संपर्क बाधित होने से सिरोंचा का रास्ता भी बंद है, जिससे सिरोंचा और हैदराबाद जाने वाली बसें बीजापुर में खड़ी हैं। इंद्रवती नदी का जलस्तर धीरे-धीरे घट रहा है। शुक्रवार शाम तक भोपालनूपम के तिमिड़ पुल पर जलस्तर 16.94 मीटर से घटकर 16.80 मीटर दर्ज किया गया।

नदी किनारे बसे गांवों में बाढ़ का



बाढ़ के बीच अबेली नाला में फंसे ग्रामीणों को सुरक्षित निकालती एनडीआरएफ की टीम ।

**बीजापुर अंबेली नाला में फंसे लोगों को बाहर निकाला**  
बीजापुर जिले के भैरमगढ़ विकासखंड के कुटुर स्थित अबेली नाला में फंसे लोगों को एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की संयुक्त टीम ने सुरक्षित बाहर निकाला। इस दौरान प्रभावित लोगों को पेयजल

और खाद्य सामग्री भी उपलब्ध कराई गई। कलेक्टर के निर्देश पर एक अगस्त को जिले के सभी स्कूल, आश्रम-शालाएं और आंगनबाड़ी केंद्र बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं।

जिस सुरक्षित निकालना बड़ी चुनौती थी। राहत दल ने प्रस्ताु और नवजात को बासागुड़ा अस्पताल पहुंचाया।

खतरा कम हो रहा है, फिर भी प्रशासन ने सतर्कता बरतने की सलाह दी है। बाढ़ के बीच साहस और धैर्य की कहानियां भी सामने आई हैं। बीजापुर जिले के डल्ला गांव में एक महिला ने नवजात को जन्म दिया,

**GOVERNMENT OF CHHATTISGARH, WATER RESOURCES DEPARTMENT OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER WATER RESOURCES DIVISION, DANTEWADA (C.G.)**

## e-PROCUREMENT TENDER NOTICE

eProcurement Portal: <https://eproc.cgstate.gov.in> (FIRST CALL)

System Tender No. 196300/NIT No.: 03/SAC/2026-27

Dantewada, Dated: 30.07.2026

Online Tenders are invited for the following works up to 20.08.2026 at 17.30 Hours.

**Name of work: Renovation of Haram Stopdam in Block Geedam, District Dantewada.**

Probable Amount of Contract: - **Rs. 57.85 Lakhs (Excluding G.S.T.)**

(As per S.O.R Enforced from Dated 01.05.2025 and amended on dated 08.08.2025).

The details can be viewed and downloaded online directly from the Government of Chhattisgarh Integrated e-Procurement Portal (<https://eproc.cgstate.gov.in>) from **Date 06.08.2026, at 17.31 Hours. (IST) onwards.**

**NOTE:-** All eligible/interested contractors/bidders are mandated to get enrolled on the Integrated e- procurement portal (<https://eproc.cgstate.gov.in>) and get approval on specific vendor class from PWD under Centralized Contractor/Supplier Registration in order to download the tender documents and participate in the subsequent bidding process.

**Executive Engineer**  
Water Resources Division  
Dantewada

## छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल

पर्यावास भवन, सेक्टर-19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला- रायपुर (छ.ग.)

### // सर्व संबंधित को सूचना //

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा-संशोधित) के तहत सर्व संबंधित को सूचित किया जाता है कि मेसर्स **कुरुद सेण्ड माईन (श्री कृष्णा कश्यप), ग्राम - कुरुद, तहसील - आरंग, जिला - रायपुर (छ.ग.)** स्थित खसरा क्रमांक 2742 (पार्ट), कुल क्षेत्रफल - 10.00 हेक्टेयर में प्रस्तावित रेत खदान (गीण खनिज) उत्खनन क्षमता - 1,80,00,000 घनमीटर प्रतिवर्ष के पर्यावरणीय स्वीकृति बाबत **कोक सुनवाई दिनांक 02/09/2026 को प्रातः 11:00 बजे से स्थान- ग्राम- कुरुद, तहसील- आरंग, जिला- रायपुर (छ.ग.)** स्थित **रितु भूमि खसरा नंबर 2256 में नियत की गई है।** यह भी सूचित हो कि कोक सुनवाई के दौरान भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ऑफिस मेमोरेण्डम F.No.22-25/2020-IA.III दिनांक 14.09.2020 तथा कोरोना वायरस के नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु शासन द्वारा जारी समस्त दिशा-निर्देशों का अक्षरशः पालन करया जाना अनिवार्य होगा।

ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 14 सितम्बर 2006 (यथा-संशोधित) के अनुसार संबंधित व्यक्तियों के अवलोकन / पठन हेतु ड्राफ्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट, कार्यपालक सार हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा तथा सी.डी. (साफ्ट कॉपी) डायरेक्टर, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, जोर बाग रोड, नई दिल्ली, वैज्ञानिक ई भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, अरण्य भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला- रायपुर (छ.ग.), कार्यालय कलेक्टर रायपुर, जिला - रायपुर (छ.ग.), मुख्य महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, जिला - रायपुर (छ.ग.), मुख्य कार्यापालन अधिकारी, जनपद पंचायत कुवबंद, तहसील- आरंग, जिला - रायपुर, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, न्यू ऑफिस बिल्डिंग, रिंग रोड नं.- 2, टाटीबंध, रायपुर, जिला - रायपुर (छ.ग.) एवं मुख्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, पर्यावास भवन, सेक्टर-19, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर, जिला- रायपुर (छ.ग.) में रखी गई है।

सदस्य सचिव

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल,

नवा रायपुर अटल नगर, जिला- रायपुर (छ.ग.)

# समेकित खेती अपनाई, गांव को नई पहचान दिलाई

रोहित देवोबाब • नईदुनिया

राजनांदगांव: परंपरागत खेती से आगे बढ़कर आधुनिक तकनीक और समेकित कृषि प्रणाली को अपनाने वाले प्रगतिशील किसान 43 वर्षीय एनेश्वर वर्मा ने राजनांदगांव जिले के डोंगराढ़ विकासखंड स्थित पारागांवखुर्द को नई पहचान दिलाई है। यह गांव अब फल और सब्जी उत्पादन के लिए प्रदेश ही नहीं, बल्कि अन्य राज्यों में भी जाना जाता है।

एनेश्वर ने करीब 70 एकड़ क्षेत्र में समेकित कृषि (इंटिग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम) अपनाकर हर वर्ष लाखों रुपये का मुनाफा कमाया है। उनकी सफलता से प्रेरित होकर 500 से अधिक किसान आधुनिक खेती की राह पर चल पड़े हैं। उन्हें हाल ही में दिल्ली में राष्ट्रीय नवोन्मेयी किसान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

एनेश्वर की खेती की सबसे बड़ी खासियत यह है कि उन्होंने कृषि और पशुपालन को एक-दूसरे का पूरक बना दिया है। उनके फार्म में पशुपालन, मछली पालन, केचुआ पालन और जैविक खेती एक साथ



### छत्तीसगढ़ की शान नवाचारी किसान

आधुनिक तकनीकों से बढ़ाई आय एनेश्वर के पास 50 एकड़ निजी भूमि है, जबकि 20 एकड़ भूमि तीज पर लेकर वे खेती करते हैं। खेती के प्रति उनका लगाव विरासत में मिला है। उनके दादा रं. गुहाराम लोधी को वर्ष 1997 में उन्नत कृषि पुरस्कार मिल चुका था। वर्ष 2006 से खेती कर रहे एनेश्वर ने आधुनिक तकनीकों को अपनाकर अपनी आय बढ़ाई और उत्तम उपज की उम, झारखंड, कर्नाटक और तेलंगाना सहित कई राज्यों से सीधे उनके खेत तक पहुंचकर फल और सब्जियां खरीदते हैं।

संचालित हो रही है। वे सीडलेस नींबू, आम, चीकू, अमरूद, काजू, नारियल, अंजीर, सीताफल और

# वर्षा ने खोली कांसे की पोल, पत्थर की निकली अटल प्रतिमा



प्रतिमा का रंग उड़ड़ा (लाल धरे में) ।

## जनप्रतिनिधियों के आपराधिक मामलों के जल्द निपटारा हो : हाई कोर्ट

नईदुनिया प्रतिनिधि, कोरबा : नगर पालिका, कटघोरा में अटल परिसर में स्थापित पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी बाजपेयी की प्रतिमा का रंग तेज वर्षा से उधड़ गया। रंग उधड़ने के बाद स्पष्ट हुआ कि प्रतिमा का निर्माण कांसे की धातु से होना था, लेकिन उसे सीमेंट से निर्मित कर कांसे के रंग से रंग दिया गया। हंगामा

**कार्यालय कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, कांकेर मण्डल, कांकेर**  
Email - sepwdkanker.2010@rediffmail.com/ se.kanker@nic.in, Fax No. : 07868-224040

**ई-प्रोक्यूरमेंट निविदा आमंत्रण**  
**निविदा संशोधन सूचना क्र०-02**

लोक निर्माण विभाग, कांकेर मण्डल कांकेर के कार्यालयीन ज्ञापन क्रमांक 2520 /सा/निविदा/2026-27/ कांकेर, दिनांक 16 /07/2026 के द्वारा 04 नम निविदा आमंत्रित किया गया था, जिसकी बिड सबमिशन /डाउनलोड करने की अंतिम तिथि 31.07.2026, निर्धारित है, जिसे अपरिहार्य कारणों से, निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :-

| स. क्र. | देख्य नंबर | कार्य का नाम                                                                                                            | डाउनलोड करने की अंतिम तिथि | निविदा अंतिमेश प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि | निविदा कोटेशन की तिथि |
|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|
| 01      | 195424     | पराबपुर अनुविभाग के विभिन्न मार्गों में डबल्यू.एस.एस. एवं बी.टी. वेग मरम्मत कार्य।                                      |                            |                                            |                       |
| 02      | 195425     | अंतागढ़ अनुविभाग के विभिन्न मार्गों में डबल्यू.एस.एस. एवं बी.टी. वेग मरम्मत कार्य।                                      |                            |                                            |                       |
| 03      | 195426     | लोक निर्माण विभाग परखण्ड क्र.-02 नारायणपुर (क्षेत्र) अंतर्गत विभिन्न मार्गों में डबल्यू.एस.एस. मरम्मत एवं मरम्मत कार्य। | 11.08.2026                 | 14.08.2026                                 | 17.08.2026            |
| 04      | 195427     | लोक निर्माण विभाग परखण्ड क्र.-01 नारायणपुर अंतर्गत विभिन्न मार्गों में डबल्यू.एस.एस. मरम्मत एवं मरम्मत कार्य।           |                            |                                            |                       |

टीप :- निविदा आमंत्रण हेतु शेष नियम एवं शर्तें पूर्ववत् रहेगी एवं अन्य जानकारी हेतु ई-प्रोक्यूरमेंट वेब पोर्टल <https://eproc.cgstate.gov.in> से डाउनलोड की जा सकती है।

(जी नं.-262702222, दिनांक 20.07.2026, आई डी-262702702545)

अधोक्षण अभियंता  
लोक निर्माण विभाग,कांकेर  
मण्डल कांकेर

जी-262702479/3

| पंजाब नैशनल बैंक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ई-नीलामी तिथि - 02/09/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                 |                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| सीओ-एसएएम, रायपुर (छ.ग.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | समय: सुबह 11.00 बजे से शाम 4.00 बजे तक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                 |                                                                                             |
| सरफेसी अधिनियम 2002 (2002 का अधिनियम 54) के अन्तर्गत बैंक में बंधक रखी गई अचल संपत्ति की विक्री                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                 |                                                                                             |
| APPENDIX-IV-A [See proviso to rule 8(6)]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                 |                                                                                             |
| वित्तीय अतिरिक्तों के प्रतिभूतिकरण व भूमिनिगम तथा सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अचल संपत्तियों की ई-निलामी सूचना सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) के तहत जारी की जा रही है। इस सूचना के द्वारा उपकरणकर्ताओं, जमानतदारों तथा आम जनता को सूचित किया जाता है। कि नीचे वर्णित अचल संपत्तियां सुरक्षित लेनदार के पास बंधक है एवं इन संपत्तियों को बैंक के प्रधिकृत अधिकारी द्वारा रचनात्मक/भौतिक/संकेतिक द्वारा अधिकार में ले लिया गया है। इन संपत्तियों को विक्रय " जहां है जैसा है " जो भी है जैसा भी है " नीचे दिये कॉलामें में वर्णित तिथि में बैंक/सुरक्षित लेनदार के देय राशि उपकरणकर्ताओं तथा जमानतदारों से वसूली के लिए किया जा रहे है। आश्रित मूल्य तथा व्यान राशि नीचे तालिका में संपत्तियों के समस्त दर्शाई गई है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                 |                                                                                             |
| सुरक्षित संपत्तियों की अनुसूची                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                 |                                                                                             |
| क्र.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | स्वातयाएक का नाम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | बंधक चल/अचल संपत्तियों का विवरण / मालिक का नाम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1) 13(2) के तहत बिनाई नोटिस की तिथि<br>2) बकाया राशि 3) कच्चा निधि सरफेसी एंटर 2002 के नियम 13(4) के तहत<br>4) कच्चा की प्रकृति | आरंभित नुन्य (लायव में) ईंगलडी (लायव में) नौती बुद्धि राशि-10000/- प्रत्येक संपत्ति के लिये |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | उधारकर्ता: श्रीमती रमा शर्मा प्रति श्री गिरधर लाल शर्मा, सह-उधारकर्ता: श्री गिरधर लाल शर्मा पिता रत. मोहन लाल शर्मा, दोनों निवासी: 1) 80, हुनगाम मंदिर के पास, बिलासपुर रोड, एम्पोरिब्वी कॉलोनी, बिलासपुर, रायपुर(छ.ग.) 493221, 2) फ्लैट नंबर डी-302, तीसरी मंजिल, ब्लॉकडी, बिमल एक्स्लव, तीसरा-रायगणभाटा, मौलाना अब्दुल कलाम रोड, रायपुर (छ.ग.)                                                  | आवासीय फ्लैट नंबर डी-302, तीसरी मंजिल, ब्लॉक डी, बिमल एक्स्लव, खसरा नं 4121/14-20-21-22-27 का भाग, प.ह नंबर 100, मौजा रायगणभाटा, मौलाना अब्दुल रऊफ वार्ड नं 25, भनपुरी, तहसील एवं जिला - रायपुर, (छ.ग.) में क्षेत्रफल - 700 वर्गफीट (बिल्डअप क्षेत्र), क्षेत्रफल - 802 वर्गफीट (सुपर बिल्डअप क्षेत्र) पर स्थित संपत्ति, मालिकाना हक- श्रीमती रमा शर्मा प्रति श्री गिरधर लाल शर्मा । सीमाएँ-उत्तर: फ्लैट डी-301, दक्षिण: खुला एवं सीमा दीवार, पूर्व: खुला एवं सीमा दीवार, पश्चिम: फ्लैट सी-303, भौगोलिक निर्देशांक- 21.300661, 81.634066 | 1) 11-05-2023<br>2) रु 19,82,825.69 + दिनांक 11-05-2023 से ब्याज प्रभावी<br>3) 16-07-25 को सांकेतिक कच्चा                       | रू 20.93 लाख<br>रू 2.09 लाख                                                                 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | उधारकर्ता- श्रीमती हेमलता देवांगन प्रति श्री श्याम देवांगन, सह-उधारकर्ता- श्री श्याम देवांगन पिता श्री जरसिंह देवांगन, दोनों का पता - राग- सिवान, पोस्ट- अदमाबाद, तहसील एवं जिला- बालोढ़ (छ.ग) शाखा- बालोढ़, 610400 संपर्क: श्री बीरेंद्र कुमार 9997254254                                                                                                                                        | आवासीय भूमि एवं भवन- खसरा नं. 331/24, प. ह. नं 22, ग्राम- देवरभाट, तहसील एवं जिला - बालोढ़ में क्षेत्रफल 1524 वर्गफीट पर स्थित संपत्ति, मालिकाना हक- श्रीमती हेमलता देवांगन प्रति श्री श्याम देवांगन, चौहदी उत्तर: कलिदात्री बाई, दक्षिण: सड़क, पूर्व: दिनेश वैष्णव की भूमि, पश्चिम: नरेंद्र वैष्णव की भूमि, भौगोलिक निर्देशांक- 20.705444, 81.254694                                                                                                                                                                                   | 1) 08-05-2019<br>2) रु 13,73,254.00 + दिनांक 31-03-2019 से ब्याज प्रभावी<br>3) 06-08-19 को सांकेतिक कच्चा                       | रू 12.81 लाख<br>रू 1.28 लाख                                                                 |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | उधारकर्ता: श्रीमती सीमा उपाध्याय प्रति श्री संतोष उपाध्याय एवं श्री रोशन कुमार उपाध्याय पिता श्री संतोष उपाध्याय, महादेव घाट रोड शीतला पारा रायपुरा, रायपुर, 492001, शाखा- देवेन्द्र नगर, (744800), संपर्क : श्री अमित कुमार पांडे, 9825886925                                                                                                                                                    | खसरा नंबर 691/6 (भाग), खता नंबर 520, भाग 3, प.ह नं 104, एलएमएम रायपुर-1, तहसील एवं जिला - रायपुर, छत्तीसगढ़ में क्षेत्रफल- 900 वर्गफुट पर स्थित संपत्ति का समस्त भाग तथा अंश, मालिकाना हक- श्रीमती सीमा उपाध्याय प्रति श्री संतोष उपाध्याय। सीमाएँ: उत्तर- सड़क, दक्षिण- ठाकुर की भूमि, विक्रेता की शेष भूमि, पश्चिम- विक्रेता की शेष भूमि। भौगोलिक निर्देशांक - 21.216256, 81.598991                                                                                                                                                   | 1) 10-02-2026<br>2) रु 5,79,314.00 + दिनांक 31-12-2025 से ब्याज प्रभावी<br>3) 29-04-26 को सांकेतिक कच्चा                        | रू 24.56 लाख<br>रू 2.45 लाख                                                                 |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | उधारकर्ता: श्री विजय बहादुर भारती पिता स्वर्गीय चकोड़ी भारती, पता 1: क्वार्टर नंबर - 3बी, स्ट्रीट- 12, जोन 3, खुसीपार, भिलाई, छ.ग., 490011, पता 2: नागपुरा, तहसील / जिला: दुर्ग, छ.ग., 491001, जमानतदार: श्री ओंकार सिंह पिता बदलुलाम, पता: क्वार्टर नंबर 1, स्ट्रीट नं. 2, सेक्टर-5, भिलाई, जिला: दुर्ग, छ.ग., 490001, शाखा- नंदिनी रोड, भिलाई (215880), संपर्क- श्रीमती सोनम कुमारी, 9431358181 | खसरा नंबर 2738/5, मौजा: नागपुरा, प.ह नंबर 2, आरएनएम दुर्ग-2, तहसील/जिला: दुर्ग, छत्तीसगढ़ में क्षेत्रफल- 1500 वर्गफुट पर स्थित संपत्ति का समस्त भाग तथा अंश, मालिकाना हक- श्रीमती सीमा उपाध्याय प्रति श्री संतोष उपाध्याय। सीमाएँ: उत्तर- सड़क, दक्षिण- बसंत की भूमि, पूर्व- 20 फीट चौड़ी सड़क, पश्चिम - विक्रेता की शेष भूमि, भौगोलिक निर्देशांक- 21.238954, 81.233518                                                                                                                                                                 | 1) 01.01.2026<br>2) रु 5,79,314.00 + दिनांक 31-12-2025 से ब्याज प्रभावी<br>3) 11.05.26 को सांकेतिक कच्चा                        | रू 12.00 लाख<br>रू 1.20 लाख                                                                 |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | उधारकर्ता: श्री संतोष कुमार ठाकुर पिता श्री दशराम राम ठाकुर एवं डिपलकर, दोनों का पता: मकान नंबर-67, हुडके कॉलोनी साईं झुले वार्ड 26, सुपेला, भिलाई, छत्तीसगढ़-490026, शाखा- भिलाई, (096920), संपर्क: श्री सतीश चंद्र, 9560045725                                                                                                                                                                  | खसरा नं. 738/10, प.ह नं. 14/19, आर्य नगर, कोहका पुरानी बस्ती वार्ड नंबर 9, भिलाई, तहसील/जिला- दुर्ग (छ.ग.) में क्षेत्रफल- 1400 वर्ग फुट पर स्थित भूमि एवं भवन का समस्त भाग तथा अंश, मालिकाना हक- श्री संतोष कुमार ठाकुर पिता श्री दशो राम ठाकुर। भौगोलिक निर्देशांक: 21°13'55.8", 81°20'07.2"                                                                                                                                                                                                                                           | 1) 18.10.2023<br>2) रु 9,46,950.00 + दिनांक 30.09.2023 से ब्याज प्रभावी<br>3) 28.10.24 को सांकेतिक कच्चा                        | रू 14.70 लाख<br>रू 1.47 लाख                                                                 |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | उधारकर्ता: श्री अलोक कुमार बिबास पिता श्री अश्विनी कुमार बिबास एवं श्रीमती सपना बिबास प्रति श्री अलोक कुमार बिबास, प्लॉट नंबर जे-189, जगता हाउसिंग बोर्ड आवासीय कॉलोनी, राजनांदगांव (छत्तीसगढ़)-491441, शाखा - राजनांदगांव (070410), संपर्क: श्री साकेत सौरभ, 7903681961                                                                                                                          | प्लॉट नंबर जे-189, जगता हाउसिंग बोर्ड आवासीय कॉलोनी, राजनांदगांव में क्षेत्रफल-408.65 वर्ग फीट पर स्थित भूमि एवं भवन का समस्त भाग तथा अंश, मालिकाना हक- श्री अलोक कुमार बिबास पिता श्री अश्विनी कुमार बिबास एवं श्रीमती सपना बिबास प्रति जी श्री अलोक कुमार बिबास। सीमाएँ: पूर्व- सड़क, पश्चिम- अन्य का प्लॉट, उत्तर - कॉलोनी की सड़क, दक्षिण - प्लॉट नंबर 188. भौगोलिक निर्देशांक- 21.091483, 81.046842.                                                                                                                               | 1) 14.09.2024<br>2) रु 1,16,574.31 + दिनांक 31.08.2024 से ब्याज प्रभावी<br>3) 06.04.26 को सांकेतिक कच्चा                        | रू 11.51 लाख<br>रू 1.15 लाख                                                                 |
| संपत्ति निरीक्षण की तिथि व समय: 01.09.2026 प्रातः 11:00 बजे से दोप. 03:00 बजे तक एवं बयाना राशि जमा करने की तिथि व समय: 01.09.2026 प्रातः 04:00 बजे तक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                 |                                                                                             |
| अधिक विस्तृत जानकारी के लिए कृपया संपर्क करें: श्री दीनानाथ बागे, सीओ-एसएएम रायपुर, 9304614766                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                 |                                                                                             |
| नोट:- उपरोक्त सभी अचल संपत्तियों से संबंधित सभी सरकारी कार्यालयों का लब्धित बकाया (संपत्ति, पानी, बिजली आदि) खर्च क्रेता द्वारा वहन किया जाएगा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                 |                                                                                             |
| महत्वपूर्ण नोट:- 1. नीलामी बिक्री ई-नीलामी पोर्टल <a href="https://baanknet.com">https://baanknet.com</a> के माध्यम से ऑनलाइन होनी, 2. वस्तुक बोलीदाताओं/खरीदारों से अनुरोध है कि वे अपने मोबाइल नंबर और ईमेल-आईडी का उपयोग करके पंजीयन ( <a href="https://baanknet.com">https://baanknet.com</a> ) पर पंजीकरण करके इच्छा अनुसार, उनके अभिलेखित ईमेल/फोन नंबरों पर अनुरोध किया जावे। 11 बजे तक जब केवाईडी दर्ताबद्ध ई-नीलामी सेवा प्रदाता द्वारा संपत्ति का बंटा रहे है। (जिसके 2 कार्य दिवस लग सकते हैं), वस्तुक बोलीदाताओं/खरीदारों को ई-नीलामी तिथि 02/09/2026 व समय सुबह 11.00 बजे से पहले बोली पर अपने लॉकब्रैक ईमेल/आईडी में ऑनलाइन बताने का उपयोग करके (प्रवर्तन) पूर्ण हस्ताक्षरित करनी होगी। 3. पंजीकरण, केवाईडी दर्ताबताने का सत्यापन और संपत्ति में ईमेल/आईडी का हस्तांतरण नीलामी की तारीख से पहले ही पूरा किया जाना चाहिए। नियम और नोट: बिक्री सूचना हित (प्रवर्तन) नियम 2002 में निर्धारित नियमों व शर्तों और निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी। 1. संपत्तियों को "जैसा है जहां है" और "जैसा है जो है" और "जैसा है जो है" के आधार पर बेचा जा रहा है। 2. यहां उक्त अनुसूची में निहित सूचित संपत्तियों का विवरण प्राथमिक जानकारी की सटीक जानकारी के अनुरोध बताया गया है, लेकिन प्राथमिक अधिकारी इस सूचना में किसी भी त्रुटि, गलत विवरण या कृत्रिम त्रुटि के लिए जवाबदेह नहीं होगा। 3. संपत्ति की बिक्री ई-नीलामी तिथि 02/09/2026 को सुबह 11.00 बजे केवाईडी पर <a href="https://baanknet.com">https://baanknet.com</a> पर उपलब्ध ई-नीलामी प्लेटफॉर्म में किसी भी माध्यम से अधोदस्तावेजों द्वारा की जाएगी बिक्री के विस्तृत नियम और शर्तों के लिए, कृपया <a href="https://baanknet.com">https://baanknet.com</a> एवं <a href="http://www.pnbndia.in">www.pnbndia.in</a> देखें। इस नीलामी के अंग्रेजी में जानकारी के लिए Central Credit Register कोलॉक 01.08.2026 से 2026 में प्रकाशित समाचार पत्र देखें। किसी भी विवाद की स्थिति में अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा। |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                 |                                                                                             |
| नोट:- वस्तुक बोलीदाताओं को यूरर आई-डी व पासवर्ड स्वयं बनाना है। जिसे बनाने में न्यूनतम 2 दिन का समय लगता है। अतः बोलीकर्ता से निवेदन है कि यूरर आई-डी अंतिम तिथि से पूर्व ही बना ले।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                 |                                                                                             |
| दिनांक: 01.08.2026, स्थान: रायपुर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                 |                                                                                             |
| प्रधिकृत अधिकारी, पंजाब नैशनल बैंक, सुरक्षित लेनदार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                 |                                                                                             |